(आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 31281/78)

O.I.G.S.

डाक पंजीयन क्रमांक RJ/JPC/205/2021-23

राजस्थान
रोज़गार संदेश
पाक्षिक

(राजस्थान सरकार के रोजगार सेवा निदेशालय द्वारा प्रकाशित व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं रोजगार संबंधी सूचनाओं का एकमात्र प्रकाशन)

वर्ष 45 अंक 11 Website:http://employment.livelihoods.rajasthan.gov.in 15 जुलाई, 2022 फोन : 0141-2368398 मूल्य : 2.00 वार्षिक शुल्क 40 रु.

15 जुलाई - विश्व युवा कौशल दिवस

विश्व युवा कौशल दिवस पूरे विश्व के युवाओ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। विश्व के प्रगतिशील देशों मे युवा बड़ी संख्या मे बेरोजगार है। आज के समय में युवाओ की बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है जिसके कारण उन्हें मजबूरन अपनी क्षमता से कम स्किल वाली नौकरी मे काम करना पड़ता है। महिलाए भी पुरुषो की तरह ही बेरोजगारी की स्थिति मे है और उन्हें उनकी क्षमता से कम वेतन वाले रोजगार को अपनाना पड़ता है। 15 जुलाई 2015 मे इसी संकट से लोगो को रूबरू करवाने के लिए यूएस ने संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड युथ स्किल्स डे मनाने का निर्णय लिया था।

वर्ष 2015 मे **"स्किल इण्डिया"** (कुशल भारत, कौशल भारत) नामक अभियान लांच किया गया था जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक 40 करोड़ से भी अधिक लोगों को विभिन्न स्किल्स में प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्र में अलग से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई है और कौशल विकास के कार्य को गति देने के लिये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना की गई है। इसी कड़ी मे राज्य में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) स्थापित है जो राज्य मे कौशल विकास के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना में सहयोग कर रहा है। रोजगार का तात्पर्य मात्र सरकारी नौकरी से नहीं है। रोजगार का तात्पर्य है आजीविका कमाना जो निजी क्षेत्र की कम्पनियों एवं संस्थाओ मे कार्य करके एवं उद्यमशीलता विकसित कर के भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए व्यक्ति को किसी व्यवसाय में तकनीकी रूप से कुशल (स्किल्ड) होना चाहिये। कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाये इसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा मे कार्य कर रही है।

इसी को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान सरकार के स्तर पर कई प्रयास किये जा रहे है। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम इस दिशा में कार्यशील है जिनका उद्देश्य युवाओं को कई क्षेत्रो मे कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगारपरक क्षमता बढ़ाना है।

कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग (डीएसईई), राजस्थान सरकार

राज्य सरकार द्वारा मई 2015 में युवाओं में कौशल विकास एवं उद्यमिता को विकसित करने की दृष्टि से एक नये विभाग - कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया गया। विभाग के निर्माण के पश्चात् प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण)/आईटीआई, रोजगार तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) में प्रभावी समन्वय बन गया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, नियोजन एवं उद्यमिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों का क्रियान्वयन एक ही छत के नीचे किया जा रहा है ताकि युवाओं के लिए रोजगार प्राप्ति का मार्ग अधिक प्रशस्त किया जा सके।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी)

राज्य के युवाओं की बेरोजगारी दूर करने एवं उनके लिये लाभकारी तथा स्थाई रोजगार की चुनौतियों का सामना करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राजस्थान मिशन ऑन लाइवलीहुड (RMoL) की स्थापना की गई। राजस्थान देश का प्रथम राज्य था जिसने आजीविका मिशन की स्थापना की। RMoL के गठन का उद्देश्य राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं हेतु नई रणनीति बनाना एवं आजीविका के नये स्त्रोतों की पहचान कर आजीविका के नये संसाधन तैयार करना था।

RMoL को 17 अगस्त 2010 को कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तगत पंजीकृत किया गया। वर्ष 2012 में RMoL को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) में परिवर्तित किया गया जो राज्य में संचालित सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु State Skill Development Mission है। वर्तमान में आरएसएलडीसी के अन्तगत 640 कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाऐं सूचिबद्ध हैं। अभी तक निगम द्वारा 505000 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

निगम के उद्देश्य

- प्रदेश के युवाओं में कार्य से सम्बन्धित दक्षताओं का विकास कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका व रोजगार प्राप्ति योग्य बनाना।
- प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जहाँ कुशल मानव संसाधन अनुपलब्ध/अपर्याप्त हैं। उन क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन उपलब्धता हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन कर प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करना।
- प्रदेश में आजीविका एवं कौशल विकास हेतु नीति निर्माण का कार्य करना व कौशल विकास कार्यक्रमों की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना।
- प्रदेश के गरीब, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं का कौशल विकास तथा आजीविका सृजन हेतु विशेष योजनाऐं तैयार कर लागू करना।
- प्रदेश में राजकीय एवं निजी एजेन्सियों के सहयोग से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना कर, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।
- प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास के प्रति आकर्षित करने हेतु प्रचार-प्रसार करना।

निगम द्वारा संचालित राज्य पोषित योजनाऐं/कार्यक्रम

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY)

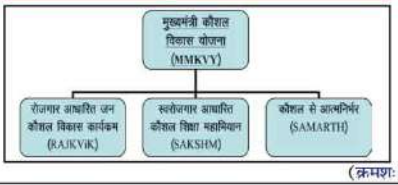

(क्रमशः)

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा पूर्व में संचालित राज्य पोषित योजनाओं क्रमशः ELSTP एवं RSTP को 3 नई योजनाएँ क्रमशः **रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (RAJKViK), सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान) एवं समर्थ (कौशल से आत्मनिर्भर)** में पुनर्गठित किया गया है। 3 नई राज्य वित्तपोषित योजनाओं को एक छत्रप (**Umbrella**) **मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना** के नाम से संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत समस्त राज्य पोषित कौशल विकास योजनाएँ (राजविचक, सक्षम एवं समर्थ) घटक योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है जिनके अन्तर्गत वर्तमान में 207 कौशल विकास केन्द्रों पर 5673 प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षित किया गया है एवं 10046 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणारत है। इन घटक योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार प्रकार है :-

- **मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना MMKVY- Cat. I राजविचक (रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम, RAJKViK):- बाजार की मांग के अनुरुप बेरोजगार युवाओं को संबन्धित क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसी योजना के अन्तर्गत कौशल विकास कार्यक्रमों में रोजगार की मांग व उपलब्धता में महती भूमिका निभाने वाले औद्योगिक उपक्रमों के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया एवं RTD (Recruit- Train-Deploy) मॉडल अपनाए जाते हुए कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है।**
- **मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना MMKVY-Cat. II सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान, SAKSHM):- स्थानीय स्तर पर ही विभिन्न क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ते हुए राज्य के युवाओं व महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सक्षम बनाते हुए राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को स्थापित करना। इस घटक योजना के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।**
- **मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना MMKVY-Cat. III समर्थ (कौशल से आत्मनिर्भर, SAMARTH):- राज्य के अत्यन्त निर्धनतम/हाशिये पर मौजूद समुदायों/वर्गों यथा सीमांत निर्धन, भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, दलित आदिवासी वर्ग, नारी निकेतन, बाल गृह, कारागार बन्दियों को रोजगार/स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर बनाना। इस घटक योजना के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।**

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY)

राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु:- इस योजना का शुभारम्भ दिनांक 07 नवम्बर 2019 को माननीय मंत्री महोदय, कॉलेज शिक्षा एवं माननीय मंत्री महोदय, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के नियमित विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कौशल को विकसित कर रोजगार/स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाना है। इस कार्यक्रम का संचालन आरएसएलडीसी एवं कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन आरएसएलडीसी द्वारा सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं जिनकी अवधि अधिकतम 350 घंटे है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 90 घंटे सॉफ्ट स्किल के लिये निर्धारित हैं।

विभाग द्वारा कोरोना के संकट को भांपते हुए और इस परिदृश्य में दूरदर्शिता दिखाते हुए द्वितीय चरण दिसंबर 2020 (MMYKY 2.0) में लांच किया गया एवं इस चरण में कौशल प्रशिक्षण को ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किये जाने की अनूठी पहल की गयी। वर्तमान मे योजना अंतर्गत कुल 2567 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

इंदिरा महिला शक्ति-कौशल सामर्थ्य योजना (आई. एम. शक्ति - I M SHAKTI)

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त प्रयासों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण को समर्पित "इंदिरा महिला शक्ति-कौशल सामर्थ्य योजना" (आई.एम.-शक्ति) योजना का शुभारम्भ गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया।

आई.एम.-शक्ति योजना के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की एक पहल है जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं को समाज में बराबरी का हक मिले एवं उनकी भागीदारी बढ़े एवं आर्थिक रूप से सशक्त होकर सम्मान के साथ जीवनयापन कर सके।इस योजना के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को उद्यम/रोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने, उनके कौशल विकास के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

आई.एम.-शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई तथा इस योजना के अंतर्गत समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम गैर आवासीय आयोजित किये जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत, समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु पूर्ण रूप से निशुल्क है।

निगम द्वारा क्रियान्वित केन्द्र पोषित योजनायें :-

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की कौशल प्रशिक्षण और रोजगार योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं न्यूनतम मजदूरी या उससे ऊपर नियमित रूप से मासिक मजदूरी के साथ नौकरी प्रदान करना है। आर.एस.एल.डी.सी को वर्ष 2014-19 हेतु 50,000 युवाओं (संशोधित लक्ष्य) के प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रदान किया गया था। इस योजना का शुभारम्भ भारत के प्रथम कौशल विकास केन्द्र के रूप में 16 अगस्त 2014 को किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की नई योजना लाइफ एमजी नरेगा को DDU-GKY में समाहित कर दिया गया है। वर्ष 2019-22 के अन्तराल में 72,800 युवाओं के प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ संशोधित कुल लक्ष्य 1,22,800 युवाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा निगम को आंवटित किया गया है। इस हेतु रू. 755.93 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। अभी तक योजना अंतर्गत कुल 75943 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत 70.96 करोड़ रू. का केंद्रीय वित्तीय बजट आवंटित किया गया है। योजनातंर्गत वर्ष 2016-20 हेतु 41,000 युवाओं

(क्रमशः)

को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था, जिसके तहत 31,493 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। PMKVY 2.0 के समापन के उपरांत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा PMKVY 3.0 का आरम्भ किया गया है। PMKVY 3.0 (2020-21) में लघु अवधि प्रशिक्षण (Short Term Training-STT) के अन्तर्गत 3604 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं कुल 418 युवा प्रशिक्षणरत् हैं। इसी तरह RPL (Recognition of Prior Learning) के अन्तर्गत 6358 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा गया है।

Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, गुणवत्तायुक्त-प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाने तथा सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण हेतु Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP) परियोजना प्रारम्भ की गई है। यह कार्यक्रम कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं बाजार की प्रासंगिकता में सुधार तथा महिलाओं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी प्रतिभागियों व समाज के अन्य वंचित समूहों के प्रतिशत में भी वृद्धि करेगा। विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु राज्य में विकसित स्किलिंग इकोसिस्टम एवं बुनियादी ढांचा को SANKALP परियोजना के अनुदान के अन्तर्गत आरएसएलडीसी द्वारा जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने में व्यय किया जा रहा है।

निगम द्वारा किये गये अभिनव प्रयास –

भोर (भिक्षुक उन्मुखीकरण एवं पुनर्वास कार्यक्रम)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के मार्गदर्शन एवं माननीय राज्य कौशल विकास मंत्री महोदय के निर्देशन में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा अनूठी पहल करते हुए जयपुर शहर के भिक्षुकों हेतु विशेष कौशल प्रशिक्षण/कार्यक्रम **"भिक्षुक उन्मुखीकरण एवं पुनर्वास कार्यक्रम (भोर)/Bhikshook Orientation & Rehabilitation (BHOR)** का आरम्भ किया गया है। आरएसएलडीसी द्वारा पुलिस कमिशनरेट के साथ समन्वय कर भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का जयपुर में संचालन किया है।

- प्रशिक्षण की कुल अवधि 840 घंटे (105 दिवस) है जिनमें 15 दिवसीय ग्रूमिंग एवं काउन्सलिंग सम्मिलित है।
- भिक्षावृति में लिप्त व्यक्तियों को स्वयं व उनके परिवार के भरण पोषण हेतु कौशल प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम मजदूरी के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता राशि (225 रू. प्रतिदिन प्रति कार्यदिवस) प्रदान किया गया है ताकि वे निष्ठा के साथ अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर पायें।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः आवासीय।
- भिखारियों को आवश्यक जांच जैसे कोविड-19 और परामर्श के बाद प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाना है एवं प्रशिक्षण के दौरान समय-समय पर इनको चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध करवायी गयी है।
- योजना के अन्तर्गत अब तक 100 भिक्षुकों को प्रशिक्षित किया जाकर उनमें से 82 भिक्षुकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

जल जीवन मिशन वाटर सेनीटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाईजेशन (WSSO)

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम के संयुक्त प्रयासों से राज्य के 33 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत 39193 युवाओं को प्लम्बिंग, फिटर एवं इलैक्ट्रिशियन के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया गया।

PM-DAKSH

PMDAKSH योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय (MoSJ), भारत सरकार के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और वित्त विकास निगम विभाग (NBCFDC) द्वारा प्रायोजित है। योजना का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से पिछड़े वर्गों के बीच तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल के उन्नयन के लिए सामान्य मानदंडों को सुविधाजनक बनाना है। योजना का संचालन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) तथा आरएसएलडीसी के संयुक्त तत्वाधान में पिछड़े वर्गों के लिये आरपीएल, लघु अवधि व दीर्घ अवधि के कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में योजना अंतर्गत कुल 376 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है एवं 192 लोगों को प्रशिक्षण उपरांत रोजगार/स्व-रोजगार से जोड़ा गया है।

जेल कैदियों, किशोरों एवं दिव्यांगजनों हेतु प्रशिक्षण:-

RSLDC द्वारा लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के अन्तगत विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से जयपुर केन्द्रीय कारागृह, जिलाकारागार, नारी निकेतन, बालक/बालिका सुधार गृह में 2367 को प्रशिक्षित किया गया है। यह प्रशिक्षण स्वरोजगार के क्षेत्र यथा हाउसकीपिंग, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, बी.पी.ओ. सेक्टर, टेलरिंग, हेन्डीक्राफ्ट, में प्रदान किया जा रहा है।

कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत प्राप्त प्रगति :-

आरएसएलडीसी का सीएक्सओ कॉन्कलेव (CxO Conclave)

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की द्वारा 24 मई-2022 को होटल रॉयल ऑर्किड, जयपुर में सीएक्सओ कॉन्कलेव (CxO Meet) का आयोजन किया गया जिसमें युवाओं को इंडस्ट्री की मांग अनुरूप प्रशिक्षित कर रोजगार के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने पर मंथन हुआ।

सीएक्सओ कॉन्कलेव (CxO Meet) में माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा कि शिक्षा प्रणाली की तुलना में स्किलिंग एक नया क्षेत्र है। रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए, वर्तमान शिक्षा प्रणाली बहुत मददगार नहीं है और इसलिए समय की आवश्यकता है कि स्किलिंग पर अधिक ध्यान दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि एक सफल जीवन के लिए, क्षेत्र विशिष्ट कौशल आवश्यक है क्योंकि यह रोजगार के अच्छे अवसरों को आकर्षित करता है। उपयुक्त कौशल जीवन के प्रति युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को बदल देता है। सरकार युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है और भविष्य में भी अच्छे सुझावों को शामिल करते हुए उन्हें स्वरोजगार योग्य बनाने और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप योजना तैयार की जाएगी।

आरएसएलडीसी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. आरुषि मलिक ने प्रदेश में मौजूद बड़े कार्य बल को ताकत बताते हुए युवाओं को प्रशिक्षित कर सही दिशा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राजस्थान स्किल्स प्रतियोगिता कराने पर भी विचार किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में ऑटोमोटिव, रिटेल, स्वास्थ्य और लॉजिस्टिक्स पर तकनीकी सत्र आयोजित हुए।

नियुक्ति-प्रशिक्षण-नियोजन (Recruit-Train-Deploy-RTD)

प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान करने के इच्छुक नियोक्ता/उद्योग सर्वप्रथम आशार्थियों को अनंतिम भर्ती देने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षित कर नियोजन सुनिश्चित करेंगें। इसके अंतर्गत आरएसएलडीसी द्वारा Jewellers Association के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता का केन्द्र (Center of Excellence for Tourism Training)

राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु ITEES, Singapore के साथ Centre of Excellence for Tourism Training (CETT) को उदयपुर में विकसित किया जा गया है। इस केन्द्र में हॉस्पिटेलिटी सेक्टर में 565 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है एवं वर्तमान में 115 युवा प्रशिक्षणरत है।

प्रस्थान पूर्व दिशा-निर्देश कार्य (Pre-Departure Orientation Programme)

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम को राज्य में जयपुर, सीकर, झुन्झुनू, नागौर एवं चूरू जिलों में प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र स्थापित किये जाने के लिए अधिकृत किया

(क्रमशः)

गया है। पीडीओटी सेन्टर, जयपुर, सीकर एवं नागौर में क्रमशः दिनांक 12.04.2019, 08.08.2019 एवं 27.11.2019 से कार्यरत हैं। उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से तक 3254 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान ने किया शानदार प्रदर्शन :-

भारत की सबसे बड़ी स्किल प्रतियोगिता इंडिया स्किल-2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 10 पदक अपने नाम किए। इसमे 3 स्वर्ण, एक रजत, एक कांस्य पदक के साथ 5 उत्कृष्टता पदक शामिल है। इंडिया स्किल्स 2021 के विजेताओं को 2022 में चीन के शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।

हैयरड्रेसिंग मे वार्मी सैन, फैशन प्रौद्योगिकी में प्रशांत चौरसिया और ज्वैलरी ट्रेड मे जयकिशन सुथार ने राजस्थान की टीम मे स्वर्ण पदक जीता है । सीएनसी टर्निंग मे रजत पदक और आभूषण निर्माण श्रेणी मे कांस्य प्राप्त किए हैं । इसके अलावा वेल्डिंग, जोइनेरी, सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग और रेनेवल ऊर्जा ट्रेड में उत्कृष्टता पदक प्राप्त किए है।

रोजगार विभाग

रोजगार विभाग की भूमिका एवं कार्य:-

प्रदेश में 01 नवम्बर 1956 को रोजगार सेवा निदेशालय की स्थापना की गई थी। बजट घोषणा वर्ष 2015-16 के पैरा संख्या 143 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन में आज्ञा संख्या 107/2015 दिनांक 23.05.2015 के द्वारा राज्य मंत्रिमण्डल ने कौशल, प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रमों को बेहतर समन्वय के साथ गति देने के लिए कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के गठन का अनुमोदन किया। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के अंतर्गत रोजगार निदेशालय एक विंग के रूप में कार्यरत है।

रोजगार कार्यालयों का मुख्य उद्देश्य रोजगार तलाश करने वालों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं रूचि के अनुसार रोजगार तलाश करने में सहायता प्रदान करना एवं नियोजकों को उनकी मांग के अनुरूप उपयुक्त आशार्थी उपलब्ध कराना है। इसके लिये रोजगार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार सहायता के इच्छुक बेरोजगार आशार्थियों का पंजीयन किया जाता है एवं नियोजकों को उनकी मांग के आधार पर सम्प्रेषण, नियोजन किया जाता है। विभाग द्वारा "राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक)" पत्र का भी प्रकाशन किया जाता है। विभाग रोजगार बाजार सूचना के अन्तर्गत रोजगार के अवसरों का विश्लेषण एवं विकास के अलावा अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन अधिनियम, 1959 एवं नियम 1960 की पालना भी करवाता है। विभाग द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का संचालन एवं रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है।

उपरोक्त कार्यों को संपादित करने हेतु निदेशालय के अधीन जिला स्तर पर 33 रोजगार कार्यालय, 01 स्वरोजगार विकास कार्यालय, जयपुर, 04 विश्वविद्यालय मार्गदर्शन ब्यूरो, 01 महिला रोजगार कार्यालय, जयपुर, 01 व्यावसायिक एवं प्रशासनिक (P&E) कार्यालय, जयपुर, 01 राजस्थान रोजगार संदेश कार्यालय, जयपुर, 01 विशेष योग्यजन कार्यालय, जयपुर, 04 उप रोजगार कार्यालय, 01 व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र, अजमेर, 01 कोचिंग कम गाइडेंस केन्द्र, बाँसवाड़ा कुल 48 कार्यालय संचालित हैं।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (फ्लैगशिप योजना)

❖ मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 ❖

योजनान्तर्गत वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 10.1 की अनुपालना में राज्य के स्नातक बेरोजगार आशार्थियों के लिये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 01 फरवरी 2019 से प्रदेश में लागू की गई। जिसके अन्तर्गत पुरूष बेरोजगारों को 3000 रूपये एवं महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर श्रेणी के आशार्थियों को 3500 रूपये प्रति माह अधिकतम दो वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता वितरित किया गया।

❖ मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 ❖

बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना-2019 को बेहतर बनाते हुए एवं लाभार्थियो की संख्या में भी वृद्धि कर 1 लाख 60 हजार से बढाकर 2 लाख की गई है। वर्तमान भत्ता दरों में 1000 रूपये की वृद्धि कर, युवाओं को employable बनाने की दृष्टि से पात्र बेरोजगार युवाओं को आरएसएलडीसी के माध्यम से तीन माह का प्रशिक्षण दिलवाकर विभिन्न विभागों में 4 घन्टे प्रतिदिन इंटर्नशिप कराई जा रही है। जिन अभ्यार्थियों ने पूर्व में ही प्रोफेशनल डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कार्स/ आरएससीआईटी कोर्स किया हो तो उन्हे कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नही है।

नवीन योजना दिनांक 01.01.2022 से प्रारंभ की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत पुरूष बेरोजगारों को 4000 रूपये एवं महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर श्रेणी के आशार्थियों को 4500 रूपये प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता वितरित किया जा रहा है। एक वर्ष में अधिकतम लाभार्वितों की संख्या 2,00,000 निर्धारित की गई है। पात्र युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम के माध्यम से संचालित किए जा रहे है।

योजना की पात्रता -

आयु -

- सामान्य वर्ग के पुरूषों हेतु-30 वर्ष
- अनुसूचित जाति/जनजाति, ट्रांसजेण्डर, महिला एवं विशेष योग्यजन- 35 वर्ष

शिक्षा -

- आवेदक राज्य में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी।
- आवेदक नियमित छात्र ना हो।

मूलनिवासी -

- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- अन्य राज्य की महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर महिला भत्ते हेतु पात्र होगी।

स्वरोजगार एवं रोजगार -

- आवेदक राजकीय या निजी क्षेत्र में सेवारत नही हो न ही स्वरोजगार हो एवं पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नही हो।

अन्य आवश्यक अर्हतायें-

- प्रार्थी आवेदन की तिथि से पूर्व स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो
- आवेदक पीएमजेएसवाई, मनरेगा, बीओसीडब्लू एवं केन्द्र/राज्य सरकार की किसी योजना के अन्तर्गत लाभ(छात्रवृति/अन्य सहायता) प्राप्त नही कर रहे हो।
- आवेदक किसी सरकारी विभाग/संस्था द्वारा बर्खास्त नही किया गया हो एवं कोई आपराधिक प्रकरण उसके विरूद दर्ज ना हो।

योजना की प्रगति-

- जिला रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक व अधिस्नातक बेरोजगार आशार्थियों की संख्या - 13,86,137
- योजना प्रारम्भ दिनांक 1 फरवरी 2019 से दिनांक जून 2022 तक योजनान्तर्गत प्राप्त कुल आवेदन - 8,05,043
- योजना प्रारम्भ दिनांक 1 फरवरी 2019 से माह जून 2022 तक कुल लाभांवित - 5,65,991
- योजना प्रारम्भ दिनांक 1फरवरी 2019 से माह जून 2022 तक कुल वितरित राशि - 1532.26 करोड़
- वर्तमान में इंटर्नशिप कर रहे आशार्थी - 1,15,150

कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता शिविरों का आयोजन

- सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण विभाग द्वारा रोजगार शिविर के माध्यम से युवक-युवतियों को अधिक से अधिक संख्या मे निजी क्षेत्र मे नियोजित करवाने के प्रयास किए जाते है। RSLDC, आईटीआई तथा रोजगार विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास से इन शिविरों का आयोजन किया जाता है ।
- रोजगार सहायता शिविरो के लिये रोजगार कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र के विभिन्न नियोजकों से रिक्तियाँ प्राप्त कर उनके अनुरूप योग्यता वाले बेरोजगार युवाओं को शिविर मे आमंत्रित किया जाता है। इन शिविरों मे बेरोजगार एवं नियोजक के मध्य संवाद स्थापित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते है।
- इन शिविरो मे युवाओं को अधिक से अधिक संख्या मे कौशल प्रशिक्षण की ओर अभिप्रेरित करने की दृष्टि से स्किल आईकन को आमंत्रित किया जाता है साथ ही शिविर में आये युवाओं की कॅरियर काउंसलिंग भी की जाती है।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में माह मई 2022 तक जिला मुख्यालयों पर कुल 876 कौशल ,नियोजन एवं उद्यमिता/कैम्पस प्लेसमेन्ट/ ऑनलाइन शिविरों का आयोजन कर 79886 युवाओं को लाभान्वित किया गया है जिसमें से 57548 आशार्थियों को रोजगार अवसरों हेतु प्राथमिक चयनित किया गया।

❖ विभाग द्वारा संपादित अन्य कार्य ❖

रोजगार विंग द्वारा गत 03 वर्षों में सम्पादित किये गये कार्य एवं उपलब्धियाँ

क्र. सं.	विवरण	2020	2021	2022(मई 2022)
1	पंजीयन	189940	163840	46866
2	अधिसूचित रिक्तियाँ	404	1101	1141
3	सम्प्रेषण	78	4247	288
4	नियोजन	135	86	0
5	सजीव पंजीका	1481709	1645532	1692397

❖ मॉडल कैरियर सेन्टर्स (MCC) ❖

भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त यह योजना वर्ष 2015 से प्रारंभ की गई है। जिसमें मॉडल कैरियर सेंटर्स को अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित कर उनके द्वारा युवाओ को रोजगार के नवीनतम अवसरों की जानकारी प्रदान करना, युवाओं में बेहतर रोजगार के अवसरों हेतु उचित काउंसलिंग करना, औद्योगिक क्षेत्र में श्रम शक्ति की माँग व पूर्ति में अंतर के कारणों का विश्लेषण कर उद्योगों में वांछित कौशल प्रशिक्षित युवाओ की माँग का आंकलन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग संबंधी कार्य करना, सरकार एवं निजी क्षेत्र के जॉब प्रदान करने संबंधी इको-सिस्टम में अंतर की पूर्ति करने हेतु प्लेटफार्म तैयार करना तथा जॉब फेयर एवं कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से युवाओं को उचित व स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता

(क्रमशः)

करना इत्यादि कार्य किये जाते हैं।

वर्तमान में रोजगार कार्यालय, बीकानेर, कोटा, भरतपुर मॉडल कैरियर सेंटर्स के रूप में क्रियाशील है। 13 जिलों यथा **अलवर, दौसा, जयपुर, झालावाड़, झुन्झुंनू, पाली, सवाई-माधोपुर, सिरोही, जैसलमेर, जालोर, बॉसवाड़ा, बांरा, गंगानगर** को मॉडल कैरियर सेंटर में परिवर्तित करने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक कुल **73.57 लाख रूपये व्यय** किये जा चुके है।

प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आईटीआई)

आईटीआई का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करना है। राज्य में डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा के विकास एवं संचालन के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार 17 अगस्त 1956 को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। नवगठित **"कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग" (डीएसईई)** के अन्तर्गत आईटीआई की प्राथमिकता राजकीय एवं निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगारपरक बनाता है।

उद्देश्य

1. प्रदेश के युवाओं में कौशल दक्षताओं का विकास कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका एवं रोजगार प्राप्ति योग्य बनाना।
2. प्रदेश के गरीब ग्रामीण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसख्यंक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके आजीविका एवं रोजगार प्राप्ति योग्य बनाना।
3. प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में जहां कुशल मानव संस्थान अपर्याप्त है, उन क्षेत्रों में कुशल मानव संस्थान के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करवा कर प्रदेश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान कराने के लिए संस्थानों से एमओयू कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
4. प्रदेश में राजकीय एवं निजी एजेन्सियों के सहयोग से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराना।
5. प्रदेश के युवाओं को अपना हुनर विकसित करने के लिए विभिन्न माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।
6. प्रदेश में युवाओं की आजीविका निर्माण के लिए नीति निर्माण का कार्य करना।
7. आईटीआई से प्रशिक्षित अधिकाधिक युवाओं को रोजगार दिलवाने के प्रयास करना।

योजनाएं

युवाओं में कौशल प्रशिक्षण का बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईटीआई द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें से मुख्य योजनाएं है:-

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) एवं राजकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) के निर्धारित व्यवसायों में नियमित, स्ववित्तपोशित योजनाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर दक्ष कामगार तैयार करना है। इस योजना के अन्तर्गत अभियांत्रिकी व्यवसाय तथा गैर अभियांत्रिकी व्यवसायों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। सीटीएस योजना के अन्तर्गत संचालित व्यवसायों में ट्रेड थ्यौरी, ट्रेड प्रेक्टिकल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कराया जाता है। वर्तमान में राज्य में 288 राजकीय एवं 1503 निजी आईटीआई सहित कुल 1791 आईटीआई स्वीकृत है। इनमें 9200 व्यवसाय स्वीकृत है।

शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (APPRENTICESHIP TRAINING SCHEME)

परिचय

- किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए मानव संसाधन का कौशल उन्नयन महत्वपूर्ण है। युवाओं को प्रतिष्ठानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कुशल कारीगर तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण योजना लागू की गई है।
- शिक्षुता प्रशिक्षण के अन्तर्गत नियोक्ता किसी व्यक्ति को केन्द्रीय शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत अनुबन्ध के अनुसार निश्चित अवधि हेतु किसी अधिसूचित अथवा वैकल्पिक व्यवसाय में प्रशिक्षित कर सकता है।
- 30 से अधिक कार्मिक (संविदा कर्मियों सहित) नियुक्त करने वाले प्रत्येक नियाजक को कार्मिकों की कुल संख्या का न्यूनतम 2.5 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत प्रशिक्षित तथा अतिरिक्त रूप से 5 प्रतिशत नवविद्यार्थी कुल 15 प्रतिशत अनुमत है, शिक्षुओं की नियुक्ति करना अनिवार्य है।
- शिक्षुता प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक शिक्षु को निर्धारित वृत्तिका (Stipend) भी दी जाती है।

उद्देश्य

शिक्षुता अधिनियम, 1961 निम्न उद्देश्यों के लिए लागू किया गया-

1. केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवम् प्रशिक्षण अवधि के लिए अधिसूचित व्यवसाय में शिक्षुओं को प्रतिष्ठान में प्रायोगिक प्रशिक्षण दिलवाना।
2. प्रतिष्ठानों में उपलब्ध सम्पूर्ण सुविधाओं का उपयोग करते हुए प्रतिष्ठानों की आवश्यकतानुरुप कुशल कारीगर तैयार करना।

प्रशिक्षण हेतु अधिसूचित व्यवसाय

- 262 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।
- नियोजक स्वयं के स्तर पर भी आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवसाय का निर्धारण कर सकता है।

प्रवेश हेतु आयु सीमा

- 14 वर्ष या इससे अधिक (उच्च आयु सीमा नहीं)

प्रवेश हेतु शैक्षणिक योग्यता

- अधिसूचित व्यवसाय के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 8वीं/10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण।
- आई.टी.आई, PMKVY/MES-SDIS, Dual Training mode from ITI को प्रशिक्षण अवधि में नियमानुसार छूट।

प्रशिक्षण अवधि

- अधिसूचित व्यवसायों में न्यूनतम 6 माह से 3 वर्ष तक।

प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली वृत्तिका

S.no.	Category	Minimum Stipend
(1)	1 School pass-out (class 5th – class 9th)	5000/- per month
(i)	School pass-out (class 10th)	6000/- per month
(ii)	School pass-out (class 12th)	7000/- per month
(iii)	National or State Certificate holder	7000/- per month
(iv)	Technician (vocational) apprentice or Vocational Certificate holder or Sandwich Course (Students form Diploma Institutions)	7000/- per month

(शेष पृष्ठ 12 पर)

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः वि.सं. 08/परीक्षा/व.शा.शि.अ./माध्यमिक शिक्षा/RPSC/EP-I/2022–23 दिनांक : 08.07.2022

आयोग द्वारा **माध्यमिक शिक्षा विभाग** के लिए राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 एवं **टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014** के अंतर्गत **वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक (SENIOR PHYSICAL EDUCATION TEACHER)** के कुल 461 पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों **(पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है)** का वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है:–

कुल पदों की संख्या	सामान्य (अनारक्षित) पद				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
सामान्य क्षेत्र 318	100	30	9	0	21	6	0	0	36	8	1	0	28	6	1	0	45	12	3	0	11	1	0	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 141	52	15	5	1	0	0	0	0	5	1	0	0	44	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
सहरिया 2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

दण्डवत आरक्षण नॉनटीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 109 (73 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 21 पद {(a) D., H.H.-10, **(b)** OL/CP/LC/DW/AAV-7 (2 Backlog), **(c)** ASD(M), M.I., S.L.D & Mul.Dis.(a to c) -4)

दण्डवत आरक्षण टीएसपी – भूतपूर्व सैनिक 23 (07 बैकलॉग) पद, विशेष योग्यजन 6 पद {(a) D., H.H.-3, **(b)** OL/CP/LC/DW/AAV-2), **(c)** ASD(M), M.I., S.L.D & Mul.Dis. (a to c) -1)

Abbreviations Used : D-Deaf, H.H.-Hard of Hearing, OL-one Leg, CP- Cerebral palsy, LC-leprosy cured, DW-dwarfism, AAV-acid attack victism, ASD (M)-Austism spectrum disorder, MI-Mental Illness, S.L.D. - Specific Learning Disability, Mul.Dis.- Multiple Disability

नोट :– उक्त पदों का आरक्षण सम्भागावार उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार दर्शाया गया है।

विशेष नोट :– टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध भी आवेदन कर सकते है। इसलिए **टी.एस.पी. क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टी.एस.पी. क्षेत्र एवं गैर टीएसपी क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम (Preference) आवश्यक रूप से ऑनलाईन आवेदन में भरें, अन्यथा उन्हें टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध लाभ देय नहीं होगा।** टी.एस.पी. क्षेत्र के पदों के विरूद्ध केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही ऑनलाईन आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि टीएसपी के पदों के लिये आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। टी.एस.पी क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण पत्र यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अपात्र होंगे।

टिप्पणी:– यदि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र में ही कार्य/सेवा करना चाहते है तो आवश्यक रूप से टीएसपी क्षेत्र को प्राथमिकता देवे।

नोट :–

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्‌वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्‌वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
4. **विशेषयोग्यजन/निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।**
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यपगत हो जायेगी।
6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नही जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। **अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य/अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार **राजस्थान राज्य के बाहर (अन्य राज्य) की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एससी/एसटी/ओबीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।** इसलिए उन्हें सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
8. **कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988** के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, **राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय होगा।**

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :

(1) Graduate or equivalent examination recognized by UGC with Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी** आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
वेतन का रनिंग पे–बैण्ड	पे–मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) **नोट** :– राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणिया	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला **Explanation :-** In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in the case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका	

(क्रमशः)

	था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules,
6.	उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules,
7	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
8	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम् आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.
9	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
10	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment;
11	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be fifteen years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
12	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.

नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जावेंगे।

नोट –

1. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जावेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा।
2. विशेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।
3. **कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जावेगा।**
4. उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2013 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत् आयु की गणना का आधार 01.01.2014 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2023 को अधिकायु के होते है, उन्हे कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।
5. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण	
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जावेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जावेगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जावेगी जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी किया जाएगा।
आवेदन अवधि	दिनांक 15.07.2022 से दिनांक 13.08.2022 रात्रि 12-00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेंवे। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। **आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जावेगा।** 2. **ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।** 3. **अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration करने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।** 4. अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा। 5. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। 6. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जावेगा। 7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। 8. **आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जावेगा।** 9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें। 10. आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। 11. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। 12. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंवे। 13. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। 14. **अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा, यदि आवेदन में अंकन नहीं है। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।**

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :- ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में **OTR Profile में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है:-**

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर** निर्धारित **शुल्क रुपये 500/-** देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते है।
3. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जावेगी।
4. **One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।**
5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जावेगा।
7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

Scheme and syllabus of competitive examination for the posts Senior Physical Education Teacher:-

(1) The examination shall carry 460 marks and maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments. (as per "Note" mentioned below Paper II).

(2) There will be two papers. Paper I shall be of 200 marks and paper II shall be of 260 marks.

Paper-I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2:00 hours.
3. The question paper will carry 100 question of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects;

(i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
(ii) Current Affairs of Rajasthan
(iii) General knowledge of world and India.
(iv) Educational Psychology

5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

6. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Paper-II

1. The question paper will carry maximum 260 marks.
2. Duration of question paper will be 2 hours.
3. The question paper will carry 130 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

5. The minimum qualifying marks for the paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Schedule Casts and Schedule Tribes.
6. Paper shall include following subjects -

(i) General Knowledge of Physical Education of Secondary and Senior Secondary standard
(ii) General knowledge of sports and Physical Education and current affairs.
(iii) Theories, definitions and History of Physical Education.
(iv) Education and Games Psychology.
(v) Methods, Supervision and Organizations of Physical Education.
(vi) Theories of Training and Decisions.
(vii) Science of basic Physical Anatomy, Function and Health Education.
(viii) Entertainment, camp and Yoga.

Awardable marks on the basis of certificate of the participation and the position gained in sports competition

For the post of Senior Physical Education Teacher maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments.(as per "Note" mentioned below).

Note – (I) Awardable marks on the basis of certificate of the participation and the position gained in sports competition shall be as under:-

1. Participation at international level or winner at national level.	40 marks
2. II position at national level.	36 marks
3. III position at national level.	32 marks
4. Participation at national level or winner at state level.	28 marks
5. II position at state level.	24 marks
6. III position at state level.	20 marks
7. Participation at state level or winner at district level.	16 marks
8. II position at district level.	12 marks
9. III position at district level.	08 marks
10. Participation at district level.	04 marks

Note –(II) Level shall be as under :-

1. **District Level -** Following tournaments will be considered of district level.-

a. District level school tournament of Elementary Education Department.
b. District level school tournament of Secondary Education Department.

(क्रमशः)

c. State level school tournament of Sanskrit Education Department.

d. Cluster level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.

e. Inter college tournament of Universities.

2. **State Level** - Following tournament will be considered of state level-

a. State level school tournament of Elementary Education Department

b. State level school tournament of Secondary Education Department.

c. National level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.

d. Inter University tournament at zone level.

3. **National level**- Following tournaments will be considered of national level-

a. School games tournament organized by School Games Federation of India at national level.

b. Inter University tournament at National or inter zone level.

4. **International level**- Participation in international tournaments through any one of these organizations:-

School Games Federation of India, University Sports Association or Sports Federation of India.

Note -(III) Verification of Sports Certificates -

a. Sports certificates will be considered if they are verified by Secretary of Rajasthan Sports Council Or Head of the Institute with a mention that participant is a regular student of the Institution.

b. Sports Certificate of participation or acquired position in International tournament through School Games Federation of India, University Sport Association or Sports Federation of India will be considered only when the same is verified by the concerned federation/ association.

नोट:-राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2021 में विहित प्रावधानानुसार भूतपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णांकों में छूट/रियायत दी जायेगी।

टिप्पणी:- संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जावेंगे जो परीक्षा के प्राप्तांको की मैरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे।

परीक्षा शुल्क:-

(क) सामान्य (अनारक्षित) वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :-	रुपये 350/-
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु :-	रुपये 250/-
(ग) निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु :-	रुपये 150/-
(घ) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदकों हेतु :-	रुपये 150/-

नोट :-

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना सही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार/परिणाम/दस्तावेज सत्यापन इत्यादि संबंधी भावी सूचना अभ्यर्थी को SMS & E-Mail के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेगी। **ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।**
2. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में इन्द्राज मोबाइल नम्बर एवं पते में परिवर्तन नहीं करें। यदि परिवर्तन करना अत्यन्त आवश्यक हो तो इसकी सूचना तत्काल आयोग को पृथक से उपलब्ध कराने का दायित्व अभ्यर्थी स्वयं का होगा।
3. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
4. **अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**
5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। **अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा।** साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़े कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जावेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जावेगा।
7. आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
8. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगें, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। **परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है।** आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को **विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।** आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
9. **यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है एवं उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**
10. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जायेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् परन्तु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की तिथि तक जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (प्रमाण-पत्र) होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
12. **आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।**
13. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
14. परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।
15. परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्र में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न-पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।
16. **प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।**
17. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 एवं नवीनतम संशोधन के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
19. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जावेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. **कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।**
2. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। **पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**
3. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।**
7. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी. श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। **विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री या विधिक प्रावधान के अनुसार तलाक का साक्ष्य ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक होना आवश्यक है।**
8. **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान** - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निरापेक्ष प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निरापेक्ष प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व व्यथित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। **कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जायेगी।** साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। **"कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाऐं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।"**
9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चों/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तानें पैदा होते हैं, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।
11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
12. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम 'अच्छा' का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।
14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या

(शेष पृष्ठ 11 पर)

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः विज्ञापन सं. 07/परीक्षा/संरक्षण अधिकारी/म.अ./RPSC/EP-I/2022–23 दिनांक : 06.07.2022

आयोग द्वारा **महिला अधिकारिता विभाग** के लिए राजस्थान महिला अधिकारिता (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2017 के अन्तर्गत **संरक्षण अधिकारी** (Protection Officer) के कुल 04 पदों पर भर्ती हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाई है, विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की संख्या एवं उनमें आरक्षित पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

कुल पदों की संख्या	सामान्य (अनारक्षित) पद				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	पूर्वसैनिक	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	पूर्वसैनिक	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	पूर्वसैनिक	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	पूर्वसैनिक	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	पूर्वसैनिक	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	पूर्वसैनिक
04 (Backlog)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक 02 पद (Backlog), विशेष योग्यजन 01 पद (Blind/Low Vision-1(Backlog))																								

नोट :–

1. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
2. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।
3. किसी वर्ष विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अन्तर–परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह महिलाओं से या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, न भरी गई रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिला को भी पहले महिला कोटे के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।
4. **विशेषयोग्यजन/निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा।**
5. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में जहां भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती है तो उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियां व्यगत हो जायेगी।
6. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नही जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही देय है। **अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य/अनारक्षित वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा CA No. 1085/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2018 एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा DBSAW No. 1116/2018 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2018 के अनुसार **राजस्थान राज्य के बाहर (अन्य राज्य) की महिला जो विवाहोपरान्त राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है तो उसे Public employment में एससी/एसटी/बीसी/एमबीसी वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।** इसलिए उन्हें सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
8. कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.5(18)कार्मिक/क–2/84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय होगा।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं :–

(i) Law Graduate (LLB)/Masters in Social Works (MSW) from a University established by law in India.
(ii) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी** आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
वेतन का रनिंग पे–बैण्ड	पे–मैट्रिक्स लेवल L-11 (Grade Pay -4200/-) **नोट** :– राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियत मासिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
आयु सीमा	**दिनांक 01.01.2023** को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।

विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाये गये आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों/ अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणिया	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राज0 राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरूष Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला **Explanation :-** In the case of widow, she will have to furnish the certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	उपर्युक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोषसिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर Substantive तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of ex-prisoner who had served under Government on a substantive basis on any post before his conviction and was eligible for appointment under these rules,	
6.	उस भूतपर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र था, उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा भुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जाएगी। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of ex-prisoner who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these rules,	
7	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the National Cadet Corps in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, such candidate shall be deemed to be within the prescribed age limit.	
8	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग या बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit if they were within the age-limit when	

(क्रमशः)

	they were initially appointed even though they have crossed the age limit when they appear finally before the Commission or Board/Appointing Authority, as the case may be and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment;
9	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में Substantive रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector undertaking/corporation in substantive capacity shall be 40 years.
10	निर्मुक्त हुए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission or Selection Committee had they been eligible as such at the time of joining the Commission in the Army.
11	सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी। There shall be no age limt in the case of Persons repatriated from Pakistan during the 1971 Indo-Pak War.
12	रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। That the upper age limit for the reservist namely the Defense personeel transferred to the reserve and the Ex-Service personnel shall be 50 years.
13	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम ऊपरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be fifteen years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
14	राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.

नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें सामान्य स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी माने जावेंगे।

नोट –

1. उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जावेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. विशेषयोग्यजन को ऊपरी आयु सीमा में देय छूट के उपर्युक्त बिन्दु संख्या 01 से 13 तक के अनुसार छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 14 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त छूट देय होगी।
3. **कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।**
4. उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2018 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत् आयु की गणना का आधार 01.01.2019 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2023 को अधिआयु के होते हैं, उन्हे नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।
5. राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये है। किसी प्रकार के विधिक वाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होंगे।

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तरपत्रक/उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग/मोडरेशन/नॉर्मलाईजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकेगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Offline/Online)** ली जायेगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर पृथक से जारी किया जाएगा।
आवेदन अवधि	**दिनांक 11.07.2022 से दिनांक 09.08.2022** रात्रि 12-00 बजे तक।

आवेदन प्रक्रिया

1. उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का ही भाग/हिस्सा माना जावेगा।
2. **ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा।** प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. में से किसी एक आई.डी. प्रूफ के विवरणों का इन्द्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
3. अभ्यर्थी द्वारा **One Time Registration** करने के पश्चात् **OTR Profile** में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
4. अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पश्चात् Recruitment Portal पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) जनरेट करना होगा।
5. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें।
6. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।
7. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित Transaction का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
8. **आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application I.D.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जावेगा।**
9. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर सम्पर्क करें।
10. आवेदक जिस श्रेणी के तहत् आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑन-लाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर आयोग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
11. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते है। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा।
12. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् आवेदन पत्र व परीक्षा शुल्क रसीद की हार्ड कॉपी का प्रिन्ट आवश्यक रूप से निकाल लेंवे।
13. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाईन या ऑफलाईन/हाथ से भरा हुआ आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
14. **अभ्यर्थी आवेदन में आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्जित सभी शैक्षणिक योग्यता/अनुभव का विवरण स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ऐसी योग्यता/अनुभव विचारणीय नहीं होगा, यदि आवेदन में अंकन नहीं है। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अर्जित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव ही बाद में विचारणीय होंगे।**

ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :-

ऑनलाईन आवेदन **Submit** किये जाने के पश्चात् यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन में **OTR Profile** में दर्शाए गये स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकता है :-

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो **आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के** भीतर निर्धारित शुल्क रूपये 500/- देकर Online संशोधन (आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार) कर सकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
2. आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाईन ऐडिट हेतु विकल्प खोला जायेगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किये जा सकते है।
3. किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात् के पश्चात् अभ्यर्थी को एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा एवं किए गए संशोधन की पुष्टि ओ.टी.पी. के माध्यम से की जायेगी।
4. **One Time Registration (OTR) लागू किये जाने के कारण ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा।**
5. सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु शुल्क 500/- रूपये निर्धारित है।
6. आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात् किसी भी प्रकार का त्रुटि सुधार नहीं किया जावेगा।
7. आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उक्त ऑफलाईन/ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

SCHEME AND SYLLABUS FOR APPOINTMENT TO THE POST OF PROTECTION OFFICER THROUGH WRITTEN EXAMINATION

SCHEME :

1- **Eligibiltity :** Who possess the minimum educational as mentioned against serial number I in column 5 of Schedule II.

2- **Examination :**

(i) The competitive examination shall carry 600 marks.

(ii) There will be two papers. **Paper-I Compulsory Paper-General Studies and Paper-II Optional paper.**
Both the papers shall be of 300 marks each. Duration of both papers shall be 3 hours each.

(iii) A candidate must take the compulsory examination and any one of the optional papers below ;
(a) Social work (b) Law

(iv) All the questions in both the papers shall be multiple choice type questions.

(v) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer, one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
Explantion: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

(Vi) Minimum passing marks shall be 40% in each paper.

(Vii) The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates accordingly on Commissions website.

नोट- संबंधित सेवा नियम के नियम 27 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार/नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जावेंगे जो परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे।"

परीक्षा शुल्क:-

(क) सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु :-	रूपये 350/-
(ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आवेदक हेतु :-	रूपये 250/-
(ग) निःशक्तजन, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख से कम है, के आवेदकों हेतु :-	रूपये 150/-
(घ) टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति के आवेदक हेतु :-	रूपये 150/-

नोट :-

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत लिये गये निर्णय के क्रम में जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिए किसी भी भर्ती/परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के समान ही आवेदक शुल्क देय होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का विकल्प चुना गया है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त लाभ राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के आवेदकों को सामान्य वर्ग हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

अति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

1. अभ्यर्थी Online Application Form में अपना सही मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार/परिणाम/दस्तावेज सत्यापन इत्यादि संबंधी भावी सूचना अभ्यर्थी को SMS & E-Mail के माध्यम से उपलब्ध करवायी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
2. **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में इन्द्राज मोबाइल नम्बर एवं पते में परिवर्तन नहीं करें। यदि परिवर्तन करना अत्यन्त आवश्यक हो तो इसकी सूचना तत्काल आयोग को पृथक से उपलब्ध कराने का दायित्व अभ्यर्थी स्वयं का होगा।**
3. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र ध्यानपूर्वक भरें। आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र अन्तिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आयोग द्वारा आगे की कार्यवाही की जायेगी।
4. **अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा में आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना अपना ऑनलाईन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई नेटवर्क समस्या के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होकर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।**
5. आवेदक द्वारा स्वयं/ई-मित्र/अन्य किसी स्त्रोत से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरते/भरवाते समय किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/भूलवश त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाईन आवेदन-पत्र के Preview में अपनी जाति/वर्ग/श्रेणी, आयु (जन्म दिनांक), योग्यता इत्यादि संबंधी त्रुटियों की जाँच आवश्यक रूप से करने के पश्चात् ही उन्हें सुधारते हुए ऑनलाईन आवेदन-पत्र को Submit करें और उसका प्रिन्ट लेकर उसकी जाँच आवश्यक रूप से पुनः कर लेवें। **अगर फिर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का ही होगा।** साथ ही आवेदक को यह भी हिदायत दी जाती है कि आवेदक अगर ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत से आवेदन करवाता है, तो आवेदक स्वयं ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत पर जाकर आवेदन करवायें। ई-मित्र अथवा अन्य स्त्रोत के भरोसे न छोड़ें कि उनके द्वारा आपका ऑनलाईन आवेदन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/जायेगा। किसी भी प्रकार की गलत सूचना भरे जाने पर आयोग अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
6. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारों का परित्याग मानते हुये आवेदन पत्र में संशोधन की उपर्युक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र आयोग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी. /विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जावेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते है तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जो श्रेणी/वर्ग भरी/भरा है, उसी श्रेणी/वर्ग में ही मानकर कार्यवाही की जाएगी एवं अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस श्रेणी/वर्ग में ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा है उस संबंधित वर्ग/श्रेणी से संबंधित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज यथा समय प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन-पत्र निरस्त/रद्द/पात्रता रद्द कर दी जायेगी/जावेगा।
7. आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी इत्यादि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
8. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अस्थाई (Provisional) रूप से संबंधित भर्ती परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। **परीक्षा के लिये प्रवेश-पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही मान ली गई है।** आयोग/विभाग द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जावेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को **विस्तृत आवेदन-पत्र दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की प्रति के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।** आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जाँच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जाँच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/टी.एस.पी. /विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्गों की पात्रता नहीं पाये जाने के कारण अभ्यर्थी की अपात्रता का

(क्रमशः)

पात्र पाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

9. **यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि तक विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाकर कि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु इच्छुक नहीं है एवं उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।**

10. माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक विधवा/परित्यक्ता वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ दिया जावेगा। इसी प्रकार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् परन्तु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की तिथि तक जो आवेदक/आवेदिका विकलांग/विधवा/परित्यक्ता हुआ/हुई है, उन्हें विकलांग/विधवा/परित्यक्ता वर्ग का लाभ लेने हेतु उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपना वर्ग अनिवार्य रूप से परिवर्तन करवाना होगा अन्यथा उसे विकलांग/विधवा/परित्यक्ता श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्री पारित नहीं हुई है, तो परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। **साथ ही विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

11. **आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लेखित अनुसार शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (प्रमाण-पत्र) होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।**

12. **आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।**

13. परीक्षार्थियों को ई-प्रवेश-पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

14. परीक्षा के दौरान ओ.एम.आर. पत्रक (उत्तर पुस्तिका) में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा ओ.एम.आर. पत्रक में किसी प्रकार की गलती/त्रुटि करने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।

15. परीक्षा के दौरान प्रश्न-पत्र में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न-पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण किसी प्रकार की गलती/त्रुटि के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ना कि आयोग जिम्मेदार होगा।

16. **प्रश्न-पत्र में त्रुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर कुंजी में गलती/त्रुटि अथवा प्रश्नोत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विषय विशेषज्ञों के पैनल द्वारा तैयार की गई अन्तिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी परिणाम को मानने का आयोग को स्वाधिकार होगा, जो सभी अभ्यर्थियों को स्वीकार्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।**

17. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 एवं नवीनतम् संशोधन के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

18. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षार्थी को आयोग की किसी भी भर्ती/परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग/उपयोग या अनुचित/अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं/साक्षात्कारों आदि से विवर्जित (Debar) किया गया है, तो उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

19. राज्य कर्मचारी को देय लाभ यथा आयुसीमा में छूट, आरक्षण इत्यादि केवल राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को ही प्राप्त है। अन्य राज्य के कर्मचारी या केन्द्र सेवा के कर्मचारी सामान्य ही माने जायेंगे, उन्हें उक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/ टी.एस.पी./विधवा/परित्यक्ता/विकलांगता/राज्य कर्मचारी/गैर राजपत्रित कर्मचारी/मंत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य) का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा/मुख्य परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों से उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई हो तथा दस्तावेज सही पाये गए हों। अतः पात्रता की जाँच हेतु निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर लिया जावे :-

1. **कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा।**
2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। **पति के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।**
3. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना चाहिए तथा टी.एस.पी. क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार अधिसूचना के पश्चात् का जारी किया हुआ होना चाहिए।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम व निवास स्थान के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम व निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
6. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।**
7. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता/अनुभव आवेदन की अंतिम दिनांक/परीक्षा दिनांक/साक्षात्कार दिनांक तक (जो भी विज्ञापन में उल्लेखित हो) अर्जित होना आवश्यक है तथा शेष सभी प्रमाण पत्र जैसे- श्रेणी/वर्ग/जाति/टी.एस.पी. श्रेणी (सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), आयु (आयु की गणना हेतु सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट खिलाड़ी (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र), विकलांगता (सम्पूर्ण भारत वर्ष के किसी भी राज्य के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक का विकलांगता प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्तता की श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख हो), राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी इत्यादि नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। **विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं पति के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (यथा - राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा परित्यक्ता/तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय द्वारा पारित तलाक सम्बन्धी डिक्री या विधिक प्रावधान के अनुसार तलाक का साक्ष्य ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक होना आवश्यक है।**
8. **भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान** - कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। **कार्मिक (क-4/2) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए 01 वर्ष की अवधि की गणना आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से की जावेगी।** साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। **"कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही देय है।"**
9. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी विवाह प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।

10. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे/संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चें/सन्तानों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों/सन्तानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा/सन्तान है, किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे/सन्तानें पैदा होते है, वहाँ बच्चों/सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चें को एक इकाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरूद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उपनियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो। तत्सम्बन्धी शपथ-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना वांछनीय होगा।

11. आवेदक को विज्ञापन में उल्लेखानुसार आवश्यक वांछित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक/संशोधन की दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किये जाने संबंधी या विधवा/परित्यक्ता श्रेणी में होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. आवेदक को अन्तिम शैक्षणिक संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें चरित्र के सम्बन्ध में कम से कम 'अच्छा' का उल्लेख/अंकित होना आवश्यक होगा।

14. आवेदक को चयन उपरान्त आचरण सम्बन्धी पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसमें आवेदक के खिलाफ ऐसी किसी आपराधिक धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिये जिससे राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा/समस्या उत्पन्न हो। साथ ही किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध होने या प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।

15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।

16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के नियम 26 के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व **परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :- **यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।**

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

डी.आई.पी.आर/सी/9215/2022 रा.रो.सं 23/2022

(एच.एल. अटल)
सचिव

(पृष्ठ 8 का शेष)

प्रकरण/वाद न्यायिक रूप से विचाराधीन होने पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा।

15. आवेदक को चयन उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जाँच सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण-पत्र यथा समय नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक पूर्णरूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है।

16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा/जैसे केन्द्रीय/राज्य/सरकारी उपक्रमों में नियुक्त है एवं उनका चयन उक्त पदों हेतु भर्ती में हो गया है, उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र यथा समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में संबंधित सेवा नियम के नियम 25 के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना/अपूर्ण आवेदन-पत्र नहीं भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देश :-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व **परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए परीक्षार्थियों हेतु** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से करते हुए आवेदन-पत्र भरें। कोई गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर आवेदक का आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना या अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार हेतु व्यक्तिशः/ऑफलाईन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाईन प्रार्थना-पत्र/पत्र-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता की जांच सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के पश्चात् अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत विस्तृत आवेदन-पत्र के माध्यम से पूर्व किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई सूचना के आधार पर की जाती है। इसलिए ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को सही मानते हुए भर्ती परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में गलत/त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है, तो अभ्यर्थी का चयन रद्द करने का अधिकार आयोग का होगा व इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी जिसके सम्बन्ध में अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

विशेष नोट :- **यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन में विज्ञापित पद हेतु समस्त स्थिति उक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है अगर फिर भी आवेदक/ई-मित्र/अन्य स्रोत द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की कोई गलती/त्रुटि/लोप/अपूर्ण सूचना रह जाती है एवं उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक वांछित संशोधन नहीं किया जाता है या विज्ञापन के अनुसार पूर्ण पात्रता नहीं रखता है, इत्यादि के कारण आवेदक का ऑनलाईन/विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग द्वारा खारिज/निरस्त कर दिया जाता है, तो इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं होगा।**

अन्य बिन्दु व सूचना :- परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध **नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

डी.आई.पी.आर/सी/9088/2022 रा.रो.सं 24/2022

(एच.एल. अटल)
सचिव

रोजगार के अवसर
(संक्षिप्त जानकारी)

बीएआरसी
पद - स्टेनोग्राफर
पद संख्या - कुल 89 पद
अंतिम तिथि - 31 जुलाई, 2022
https://recruit.barc.gov.in/barcrecruit/

आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट
पद - कोर्ट मास्टर, पर्सनल सेक्रेटरी आदि
पद संख्या - कुल 10 पद
अंतिम तिथि - 25 जुलाई, 2022
https//hc.ap.nic.in/

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
पद - महाप्रबंधक, कार्यकारी निदेशक आदि
पद संख्या - कुल 12 पद
अंतिम तिथि - 25 जुलाई, 2022
https//www.hindustancopper.com/

पीजीसीआईएल
पद - ऑप्टिस
पद संख्या - कुल 1166 पद
अंतिम तिथि - 31 जुलाई, 2022
https://www.powergrid.in/

एम्स बीबीनगर, हैदराबाद
पद - प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि
पद संख्या - कुल 94 पद
अंतिम तिथि - 25 जुलाई, 2022
https://aiimsbibinagar.edu.in/

एचपीसीएल
पद - इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अकाउंटेंट आदि
पद संख्या - कुल 294 पद
अंतिम तिथि - 22 जुलाई, 2022
https//www.hindustanpetroleum.com/

कोल इंडिया लिमिटेड
पद - मैनेजमेंट ट्रेनी
पद संख्या - कुल 1050 पद
अंतिम तिथि - 22 जुलाई, 2022
https//www.coalindia.in/

डीआरडीओ
पद - साइंटिस्ट बी
पद संख्या - कुल 630 पद
अंतिम तिथि - 29 जुलाई, 2022
https://rac.gov.in/

(पृष्ठ 5 का शेष)

(v)	Technician apprentices or diploma holder in any stream or sandwich course (students from degree institutions)	8000/- per month
(vi)	Graduate apprentices or degree apprentices or degree in any stream	9000/- per month
(vii)	(i) 25% of prescribed stipend subject to a maximum of Rs.1500/- per month per apprentice for all apprentices is reimbursed to employer.	

शिक्षुता परीक्षा एवं प्रमाण-पत्र

- प्रशिक्षण की समाप्ति पर शिक्षुओं के लिए अखिल भारतीय शिक्षुता परीक्षा का आयोजन किया जाता है जो कि वर्ष में दो बार होता है।
- परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की ओर से "**राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र**" प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण-पत्र निजी/राजकीय क्षेत्र के साथ-साथ विदेशों में भी रोजगार प्राप्त करने हेतु मान्य होता है।

शिक्षु कौशल प्रतियोगिता

- राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शिक्षु को क्षेत्रीय शिक्षुता प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम व द्वितीय आने पर क्रमशः रूपये 10,000 व 5,000 का पुरस्कार व मैरिट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
- क्षेत्रीय शिक्षुता प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय आने वाले शिक्षुओं को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर होता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम व द्वितीय आने पर क्रमशः रूपये 50,000 व 25,000 का पुरस्कार व मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

रोजगार एवं स्व:रोजगार के अवसर

- निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में,
- राजकीय विभागों एंव उपक्रमों में यथा रेलवे, रोड़वेज, होटल, मेडिकल एण्ड हेल्थ, पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई.डी. एवं रा.रा.वि.वि.नि.लि. इत्यादि,
- प्रशिक्षण उपरान्त स्व-रोजगार भी शुरू कर सकते है। बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना

- योजना का मुख्य उद्धेश्य शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना एवं शिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करना है।
- नियोजकों को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गये है :-
  1. प्रत्येक शिक्षु को दी जाने वाली वृत्तिका का 25 प्रतिशत (अधिकतम रू. 1500 प्रति शिक्षु प्रति माह) का पुनर्भरण भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
  2. फ्रेशर शिक्षुओं की बेसिक टेनिंग हेतु रू. 7500 प्रति शिक्षु (अधिकतम 500 घण्टे/3 माह) का पुनर्भरण भारत सरकार द्वारा किया जायेगा।
- नियोजकों की सुविधा के लिये भारत सरकार ने ऑन-लाईन पोर्टल (www.apprenticeship.gov.in) उपलब्ध कराया है जिस पर नियोजक एवं शिक्षु पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। ऑन-लाईन प्रक्रिया के कारण त्वरित एवं पारदर्शी कार्य व्यवस्था लागू ह्वे गई है। पोर्टल निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करता है :-

नियोजकों के लिये -

- ऑन-लाईन पंजीकरण करने की सुविधा
- स्वयं द्वारा व्यवसाय का चयन एवं सीट्स का निर्धारण
- चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों का पोर्टल पर विवरण उपलब्ध
- नियुक्ति का ऑफर ऑन-लाईन जारी करने की सुविधा
- अनुबन्ध पत्र ऑन-लाईन प्रस्तुत करने की सुविधा
- रिकॉर्ड एवं रिटर्न्स ऑन-लाईन प्रस्तुत करने की सुविधा
- ऑन-लाईन क्लेम प्रस्तुत करने की सुविधा
- ऑन-लाईन भुगतान प्राप्त करने की सुविधा

अभ्यर्थियों के लिये -

- ऑन-लाईन पंजीकरण करने की सुविधा
- ऑन-लाईन एक से अधिक नियोजकों को आवेदन करने की सुविधा
- ऑन-लाईन नियोजकों से ऑफर प्राप्ति एवं स्वीकार करने की सुविधा
- अनुबन्ध की कार्यवाही ऑन-लाईन प्रस्तुत करने की सुविधा
- बेसिक ट्रेनिंग प्रदाता की ऑन-लाईन जानकारी की सुविधा

वार्षिक अभिदाताओं हेतु आवश्यक सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश (पाक्षिक) के वार्षिक अभिदाता बनने हेतु अथवा वर्तमान में चल रहे अभिदाता जिनका वार्षिक शुल्क समाप्त होने जा रहा है वे रुपए 40/- की राशि का भारतीय पोस्टल आर्डर या डिमान्ड ड्राफ्ट सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश के पक्ष में भेजकर इस पाक्षिक पत्र के वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। - संपादक

सूचना

राजस्थान रोजगार संदेश के प्रकाशित लेखों एवं प्रशिक्षण एक परिचय में प्रयुक्त विषय वस्तु लेखकों / संस्थानों की अपनी है। सम्पादक इन विषय वस्तु एवं इनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं है। - सम्पादक

राजस्थान रोजगार संदेश

मुख्य सम्पादक
प्रवीण माथुर
निदेशक, रोजगार सेवा निदेशालय
राजस्थान, जयपुर
मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक
हरी राम बडगूजर
सहायक निदेशक (प्रकाशन) राजस्थान रोजगार संदेश, जयपुर,
डाक का पता : सहायक निदेशक प्रकाशन, दरबार स्कूल परिसर,
गोपीनाथ मार्ग, जयपुर, पिनकोड- 302001, फोन- 2368398
e-mail— adrs.jpr.emp@rajasthan.gov.in

स्वत्वाधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार के लिए मुद्रक सहायक निदेशक(प्रकाशन) द्वारा डी.डी. कॉर्प लि. 10, जेएलएन मार्ग, जयपुर, फोन - 01419398148 (भास्का प्रिंटिंग प्रेस, शिवदासपुरा, टोंक रोड़, जयपुर) में मुद्रित एवं दरबार स्कूल परिसर, गोपीनाथ मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। संपादक-हरी राम बडगूजर